संख्या– 450 / VI-I / 2007–13(7) / 2004

प्रेषक,

सुवर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग — देहरादून दिनांक :10 सितम्बर, 2008

विषयः–दिनांक 20 सितम्बर, 2008 को नई दिल्ली में प्रस्तावित स्वरपान–2008 के आयोजन हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–939 / स0नि0उ0 / दो–3 / 2008–09, दिनांक– 06 अगस्त, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिकारी एण्ड एसोसियेट्स, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2008 को सीरी फोर्ट प्रेक्षागृह खेल गांव, नई दिल्ली में प्रस्तावित "स्वरपान 2008" के आयोजन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–208 / VI-I / 2008 दिनांक– 8–5–08 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी हुई धनराशि रू0 2.00 करोड़ मात्र से रू0 1,40,000–00 (रू0 एक लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किए जाने एवं इतनी ही धनराशि के अग्रिम आहरण की स्वीकृति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–4 के नियम 249 के अन्तर्गत प्रदान किए जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व शासन / संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा, तथा उक्त आयोजन में हुए वास्तविक व्यय के आधार पर अग्रिम का समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. धनराशि का आहरण बजट एवं परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

4. इस संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यो/प्रोजेक्ट की हार्ड व साफ्ट प्रतिया जैसा लागू है, में पांच प्रतियों में संस्कृति विभाग को अभिलेखों के रूप में उपलब्ध करायें।

5. उक्त धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा मदवार व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये।

6. संस्था को उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि संस्था इसी कार्यकम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करेगी।

7. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205– कला एवं संस्कृति–00–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–42–अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

8. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–310(पी)/XXVII(3)/2008 दिनांक– 08 सितम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 450 /VI-I/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
7. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस0एस0 वाल्दिया)
उप सचिव